भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3433

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

कर्नाटक के विभिन्न जलाशयों में उपलब्ध पानी

3433. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में विभिन्न जलाशयों में उपलब्ध कुल क्यूसेक पानी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपलब्ध पानी की मात्रा कर्नाटक में आगामी गर्मी के मौसम के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा भूजल के वाणिज्यिक दोहन तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जलाशयों से पानी के अप्रतिबंधित उपयोग को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): कर्नाटक राज्य में कावेरी बेसिन में चार नामित जलाशयों में उपलब्ध जल भंडारण का ब्यौरा (13.03.2025 तक) निम्नवत है:

जलाशय	एफआरएल में लाइव स्टोरेज (टीएमसी* में)	लाइव स्टोरेज (दिनांक 13.03.2025 की स्थिति के अनुसार) (टीमसी में)
कर्नाटक		
कृष्णराज सागर	45.051	28.275
काबिनी	15.667	8.825
हरंगी	8.073	3.198
हेमावती	35.76	18.966
कुल	**104.551**	**59.264 (56.68%)**

(*टीएमसी: हजार मिलियन क्यूबिक फीट)

(ख): माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतिम अधिनिर्णय के अनुसार, वर्तमान जल वर्ष 2024-25 (जल वर्ष 1 जून से 31 मई तक चलता है) के लिए 'सिंचाई मौसम' दिनांक 31.01.2025 को समाप्त हो गया है।

कर्नाटक राज्य में कावेरी बेसिन के चार नामित जलाशयों में उपलब्ध जल की मात्रा वर्ष 2025 की आसन्न ग्रीष्म अवधि के दौरान पेयजल, औद्योगिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

(ग): जल राज्य का विषय है, इसलिए भूजल का विनियमन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कर्नाटक राज्य में, राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भूजल निष्कर्षण सह उपयोग को विनियमित करने के लिए अपना स्वयं का नियामक तंत्र स्थापित किया गया है।

कर्नाटक सरकार के राज्य भूजल निदेशालय द्वारा सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य ने भूजल विनियमन फ्रेमवर्क अधिनियमित किया गया है, जिसका नाम कर्नाटक भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2011 और नियम 2012 है। अधिसूचित तालुकों में नया बोरवेल खोदने पर प्रतिबंध है।

i. अधिनियम 2011 की धारा 11 के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्र में नया बोरवेल खोदने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
ii. अधिसूचित क्षेत्र में विद्यमान बोरवेलों का प्राधिकरण के पास पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
iii. राज्य के किसी भी हिस्से में बोरवेल खोदने के लिए ड्रिलिंग रिग का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र कर्नाटक भूजल प्राधिकरण द्वारा फॉर्म-7ए में जारी किया जाता है।
iv. राज्य में भूजल के व्यावसायिक अन्वेषण के लिए कर्नाटक भूजल प्राधिकरण से अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
v. भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों/कॉलेजों में जनता और छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
vi. छोड़े गए और विफल बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने के बारे में जन-जागरूकता लाने तथा ऐसी घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए, उन स्थानों पर होर्डिंग्स और फ्लेक्स बोर्ड लगाए जा रहे हैं जहां अक्सर लोग आते हैं तथा भूजल संबंधी पर्चे वितरित किए जा रहे हैं।
vii. अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले को 5000/- रुपए तक का जुर्माना और/या छह महीने की कैद की सजा हो सकती है।
viii. कर्नाटक सरकार ने बोरवेल दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए कानून बनाने हेतु "कर्नाटक भूजल (विनियमन, विकास और प्रबंधन नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम 2024" नामक संशोधन विधेयक पारित किया है।

*****